

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

मैस संचालन हेतु द्वितीय ई-निविदा सूचना



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, हबीबगंज
डेयरी प्लांट, भोपाल (म.प्र.) – 462024
E-mail :- bsdsadm1@gmail.com

:: भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ::

डेयरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल-462024

Ref No: 5527

Dated: 09.08.2024

मैस संचालन हेतु अल्पकालीन द्वितीय ई-निविदा सूचना

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल का प्रशिक्षण केन्द्र जो कि एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के परिसर में स्थित है के छात्रावास में मैस संचालन कार्य हेतु दिनांक 01.09.2024 से 31.08.2027 तक 03 वर्ष की अवधि हेतु संचालन करने के लिये प्रतिष्ठित, अनुभवी एवं वित्तीय रूप से सक्षम पंजीकृत कम्पनी/फर्म/एजेन्सी से ऑनलाइन अल्पकालीन द्वितीय ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र के साथ रुपये 20,000/- ऑनलाइन ईएमडी जमा कराना अनिवार्य होगी। ईएमडी की मूल रसीद एवं वांछित दस्तावेज, नोटराइज्ड निर्धारित शपथ-पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड तथा फूड लायसेंस की स्वप्रमाणित प्रति तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा अमान्य की जावेगी।

निविदा अवधि पूर्ण होने एवं कार्य संतोषजनक होने पर आपसी सहमति से एक-एक वर्ष करके अनुबंधित अवधि में अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व अनुमोदित दरों एवं शर्तों पर की जा सकेगी।

कार्य विवरण	निविदा प्रपत्र की राशि रु.	निविदा फॉर्म डाउनलोडिंग की प्रारंभ दिनांक व समय	निविदा भरने की अंतिम दिनांक व समय	तकनीकी निविदा खुलने की दिनांक व समय	वित्तीय निविदा खुलने की दिनांक व समय सफल निविदाकारों को सूचित किया जावेगा
मैस संचालन	500.00	10-08-2024 12:00 PM	16.08.2024 12:00 PM	20.08.2024 3:00 PM	

निविदा प्रपत्र का पूर्ण विवरण (निविदा कार्यक्रम/निविदा प्रस्तुत करने बाबत नियम एवं शर्तें/अनुबंध की शर्तें/भाव पत्रक) मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com एवं www.sanchibhopal.com पर देखी जा सकती है, तथा निविदा वेबसाइट www.mptenders.gov.in के माध्यम से भरी जा सकती है। समस्त निविदाएँ या किसी एक निविदा को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन या शुद्धि किये जाने पर वेबसाइट में ही परिवर्तन किया जायेगा अन्य किसी माध्यम में नहीं, अतः नियमित रूप से एमपीसीडीएफ की वेबसाइट www.sanchidairy.com एवं www.sanchibhopal.com देखें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

—: निविदा प्रपत्र :-

निविदा कार्य :-

1. भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल का प्रशिक्षण केन्द्र जो कि एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के परिसर में स्थित है, के मैस संचालन हेतु अवधि 03 वर्ष हेतु द्वितीय ई-निविदा।

ई-निविदा क्रय एवं जमा करने हेतु प्रारंभ

दिनांक एवं समय : 10.08.2024 को दोपहर 12:00 बजे से

ई-निविदा क्रय एवं जमा करने हेतु अंतिम

दिनांक एवं समय : 16.08.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक

तकनीकी ई-निविदा खोले जाने की दिनांक एवं समय : 20.08.2024 को दोपहर 3:00 बजे

पत्राचार हेतु पता

: भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
भोपाल डेयरी प्लांट, हबीबगंज,
भोपाल (म.प्र.) – 462024

निविदाकार द्वारा तकनीकी निविदा प्रपत्र **Online** जमा किए जाने होंगे।

(अ) धरोहर राशि (EMD)	–	Online
(ब) Technical Bid	–	Online
(स) निविदा प्रपत्र (Price Bid)	–	Online

● तकनीकी अर्हताएं	–	प्रपत्र क्रमांक 01
● मैस संचालन हेतु निविदा शर्तें	–	प्रपत्र क्रमांक 02
● शपथ पत्र	–	प्रपत्र क्रमांक 03
● अनुबंध पत्र	–	प्रपत्र क्रमांक 04
● भोज्य आहार विवरण	–	प्रपत्र क्रमांक 05
● भावपत्रक	–	प्रपत्र क्रमांक 06

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

❖ तकनीकी निविदा के संबंध में दस्तावेजों को जमा कराने हेतु निविदाकारों के लिये दिशा निर्देश :-

तकनीकी बिड अंतर्गत दुग्ध संघ द्वारा निविदाकार से अनिवार्यतः वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची प्रपत्र क्रमांक 01 में दिये गये अनुसार है। निविदाकार द्वारा वांछित दस्तावेजों में से किन-किन दस्तावेजों को संलग्न किया गया है का उल्लेख करते हुए प्रपत्र क्रमांक 01 में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को संबोधित पत्र, हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा।

1. तकनीकी अर्हता क्रमांक 10 हेतु शपथ-पत्र संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कृपया प्रपत्र क्रमांक 01 एवं 03 का अवलोकन करें।
2. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत तकनीकी अर्हताओं से संबंधित समस्त दस्तावेजों का सत्यापन मूल दस्तावेजों से किया जावेगा।
3. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में उस पर सभी भागीदारों के हस्ताक्षर आवश्यक होना चाहिए या किसी भागीदार की अनुपस्थिति में उसकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए, जिसके पास ऐसा करने के लिए मुख्त्यार नामा है। इस प्रकार संबंधित प्रतिनिधि भारतीय भागीदार अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। साथ में पंजीकृत पार्टनरशिप डीड पत्र ऑनलाईन अपलोड करना होगा।
4. बिना हस्ताक्षर अथवा अपूर्ण जानकारी वाली निविदाओं को, निविदा प्रक्रिया से बाहर रखा जावेगा।
5. (i) निविदा के साथ रुपये 20,000/- (रुपये बीस हजार मात्र) अमानत राशि ऑनलाईन जमा करना होगी। ऑनलाईन जमा की गई अमानत राशि रुपये 20,000/- की मूल रसीद की स्कैन प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी अन्यथा निविदा निरस्त की जावेगी।
(ii) सुरक्षा निधि अनुबंध मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर होगी, जो कि अनुबंध पत्र के साथ जमा करनी होगी।
6. निविदाकार को ऑनलाईन जमा की गई EMD राशि की पावती, निविदा की समस्त शर्तों पर सहमति दर्शाते हुए सील सहित हस्ताक्षर युक्त प्रति तथा **प्रपत्र क्रमांक 01 "तकनीकी अर्हतायें"** में विवरण अंकित करते हुए उसकी सत्यापित प्रति की स्कैन कॉपी एवं **भाव पत्र (प्रपत्र क्रमांक 06)** ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा।
7. निविदा प्रपत्रों में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी इसलिए अपनी शर्तों का उल्लेख निविदा प्रपत्रों में नहीं करें।

8. तकनीकी अर्हताओं के परीक्षण उपरांत समस्त अर्हता रखने वाले निविदाकर्ताओं की ही भाव दरें ऑनलाईन खोली जायेंगी।
9. कार्यानुभव की पुष्टि करने हेतु कार्यादेश एवं अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ-साथ ई. पी.एफ. चालानों पर अंकित श्रमिकों की संख्या को भी आधार माना जायेगा।
10. निविदाकार को प्रपत्र क्रमांक 01 में दर्शाये गये तकनीकी अर्हताओं से संबंधित दस्तावेजों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना होगा।
11. निविदा प्रपत्रों में दी गई जानकारीयों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवंटित ठेका निरस्त कर प्रतिभूति राशि **(Security Deposit)** जब्त की जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
डेयरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल-462024

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, डेयरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
भोपाल।

महोदय,

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल का प्रशिक्षण केन्द्र जो कि एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के परिसर में स्थित है, के मैस का संचालन करने हेतु दिनांक 12.08.2024 को समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार मैस संचालन करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा प्रतिभूति राशि **(Earnest Money)** रुपये 20,000 / – (रुपये बीस हजार) को Online जमा कर पावती एवं तकनीकी अर्हताओं के लिये प्रमाण के तौर पर वांछित दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड कर रहा हूँ।

अनिवार्य तकनीकी अर्हतायें

क्र.	आवश्यक तकनीकी अर्हता	अनिवार्यतः अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज	संलग्न है अथवा नहीं अंकित करें
1.	निविदाकर्ता का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)	संस्था का पंजीयन प्रमाण-पत्र	है/नहीं
2.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता	पंजीकृत पार्टनरशिप डीड की छायाप्रति।	है/नहीं
3.	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम	संस्था/फर्म के संचालक मण्डल/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र।	है/नहीं
4.	निविदाकर्ता को ऐसे संस्थान में जहाँ कम से कम 50 कर्मचारी कार्यरत् हों अथवा शैक्षणिक संस्थान में जहाँ कम से कम 50 विद्यार्थी अध्ययनरत् हों, में मैस संचालन का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।	कार्य अनुभव के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।	है/नहीं
5.	निविदाकर्ता के पास भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.आई.) द्वारा जारी लायसेंस होना अनिवार्य है।	खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अधीन प्राप्त नवीनीकृत लायसेंस की छायाप्रति।	है/नहीं
6.	निविदाकर्ता का पेन कार्ड, आधार कार्ड होना अनिवार्य है। संस्था/फर्म की दशा में प्रमुख का आधार कार्ड।	पेन कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति।	है/नहीं
7.	बैंक का नाम, खाता क्रमांक एवं आई.एफ.एस.सी. कोड	बैंक पासबुक/केन्सिल्ड चेक की छायाप्रति।	है/नहीं

8.	वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के आयकर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण।	आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती एवं रिटर्न की प्रति।	है/नहीं
9.	क्या निविदाकर्ता का भोपाल शहर में कार्यालय है?	यदि हाँ, तो पूर्ण पते का उल्लेख करें।	है/नहीं
10.	क्या किसी शासकीय संस्था/एम.पी.सी.डी.एफ./दुग्ध संघ द्वारा आपकी संस्था को काली सूची में नामांकित किया गया है?	यदि काली सूची में नामांकित नहीं किया गया है, तो इस आशय का नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रु. 100/- के गैर न्यायालयीन स्टॉम्प पर)।	है/नहीं

मैंने निविदा आमंत्रण सूचना एवं अनिवार्य तकनीकी अर्हताओं के संबंध में दस्तावेजों को अपलोड कराने हेतु दिये गये दिशा निर्देश, पूर्णतः पढ़ लिये एवं समझ लिये हैं और उस में दिये गये निर्देश के अनुसार ही निविदा प्रक्रिया में भाग ले रहा हूँ।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :-

दिनांक :-

नाम :-

पत्राचार हेतु पता :-

.....

.....

दूरभाष/मो.नं. :-

**भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
डेयरी प्लांट हबीबगंज, भोपाल
:: मैस संचालन हेतु निविदा शर्तें ::**

1.	निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने से यह मान लिया जावेगा कि निविदा प्रस्तुत करने के लिए दी गयी निविदा की शर्तें/अनुबंध आदि का अवलोकन निविदाकार द्वारा कर लिया गया है, तथा मैस संचालन की जानकारी से स्वयं को अवगत करा लिया गया है तथा उसे स्वीकृत है।
2.	मैस ठेका आदेश/अनुबंध निष्पादन दिनांक से तीन वर्ष तक की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा। निविदा अवधि पूर्ण होने पर व कार्य संतोषप्रद होने पर अनुबंध अवधि में अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि एक-एक करके पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तों पर की जा सकेगी।
3.	निविदाकार को ई-निविदा पोर्टल पर अमानत राशि (Earnest Money) रु. 20,000/- (रुपये बीस हजार) ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य है। बिना अमानत राशि के प्रस्तुत निविदाओं को अमान्य किया जावेगा। National Small Scale Industries Corporation से पंजीकृत फर्मों सहित अन्य किसी भी प्रकार के शासकीय संस्थाओं से अनुशंसित किसी भी निविदाकार को अमानत राशि जमा करने के संबंध में छूट नहीं दी जावेगी। अमानत राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
4.	निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार अर्थात् मैस ठेकेदार द्वारा जमा की गई अमानत राशि (Earnest Money) रु. 20,000/- (रुपये बीस हजार मात्र) को ठेका आवंटन के पश्चात् सुरक्षा निधि (Security Deposit) के मद में समायोजित किया जावेगा। सुरक्षा निधि (Security Deposit) ठेका समाप्त होने के पश्चात्, मैस ठेकेदार द्वारा प्रभारी (प्रशिक्षण केन्द्र) से अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने की स्थिति में ही वापस की जावेगी। जमा सुरक्षा निधि (Security Deposit) पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
5.	निविदा पूर्णतः/अंशतः स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को होगा।
6.	निविदाकर्ता को ऐसे संस्थान में जहाँ कम से कम 50 कर्मचारी कार्यरत हों अथवा शैक्षणिक संस्थान में जहाँ कम से कम 50 विद्यार्थी अध्ययनरत हों, में मैस संचालन का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। वांछित अनुभव न रखने वाले निविदाकर्ता की निविदा निरस्त समझी जावेगी। इस हेतु निविदाकर्ता को कार्य अनुभव के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।
7.	निविदाकर्ता को आयकर का पै नं. देना अनिवार्य होगा।
8.	नगर पालिका/नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, श्रम विभाग, विक्रय विभाग आदि से संबंधित जो भी लायसेंस/परमिट इत्यादि प्राप्त करना होगा उसकी समस्त जिम्मेदारी मैस ठेकेदार की होगी। साथ ही समस्त आवश्यक लायसेंस/परमिट की छायाप्रति ठेकेदार को दुग्ध संघ कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कराना होगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त विभाग के अधिकारी कभी भी मैस का निरीक्षण कर सकते हैं जिसके लिए भी ठेकेदार जिम्मेदार होगा। यदि उन्होंने ठेकेदार के द्वारा नियम पालन नहीं करने की विपरीत टीप से प्रबंधन को अवगत कराया जाता है, तो श्रम अधिनियमों के अंतर्गत दंड आदि की जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी। यदि विपरीत टीप गंभीर प्रवृत्ति की दी जाती है, तो ठेका तत्काल में निरस्त किया जाने का अधिकार प्रबंधन के पास सुरक्षित रहेगा।
9.	निविदा स्वीकृत होने पर तत्काल संबंधित निविदाकर्ता को स्वयं के खर्च से अनुबंध पत्र हेतु रु. 1,000/- (रुपये एक हजार मात्र) का गैर न्यायालयीन स्टॉम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा एवं कार्य प्रारंभ से पूर्व अनुबंध पत्रों पर हस्ताक्षर करने होंगे। निर्धारित अवधि तक अनुबंध निष्पादन नहीं होने पर निविदा में चयन स्वतः निरस्त हो जावेगा तथा जमा अमानत राशि जब्त हो जायेगी। अनुबंध का प्रारूप प्रपत्र 04 पर संलग्न है।
10.	मैस ठेकेदार को स्वयं के बर्तन, गैस चूल्हा एवं अन्य आवश्यक सामान की व्यवस्था करनी होगी एवं खाद्य सामग्री के निर्माण में गैस का ही प्रयोग किया जायेगा।

11.	मैस ठेके की अवधि में पानी व बिजली का व्यय भोपाल दुग्ध संघ द्वारा वहन किया जावेगा, परंतु मैस ठेकेदार बिजली का हीटर/रूम हीटर का उपयोग नहीं करेगा। हीटर/रूम हीटर का उपयोग करते हुए पाये जाने पर प्रत्येक प्रकरण में रु. 10,000/- अर्थदण्ड किया जावेगा।
12.	मैस भवन में फर्नीचर की व्यवस्था भोपाल दुग्ध संघ द्वारा की जावेगी परंतु उसकी देख-रेख ठेकेदार द्वारा की जावेगी। फर्नीचर को यदि कोई नुकसान पहुँचाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी।
13.	मैस ठेकेदार को स्वयं मैस में काम करने वाले श्रमिकों की सम्पूर्ण जानकारी यथा नाम, पता एवं फोटो सहित प्रमाणित कर दुग्ध संघ को उपलब्ध कराना होगी।
14.	मैस ठेकेदार द्वारा यदि मैस में कार्य करने वाले श्रमिकों की बदली करता है तो इसकी पूर्व सूचना दुग्ध संघ को उपलब्ध कराना होगी।
15.	खाने-पीने की वस्तुओं एवं बैठने इत्यादि के स्थान को पूर्णतः साफ-सफाई के साथ व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी मैस ठेकेदार की होगी। इस हेतु ठेकेदार को प्रत्येक पाली में सफाईकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना होगी।
16.	भोपाल दुग्ध संघ के प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण सत्र पूरे वर्ष भर संचालित किये जाते हैं। अतः मैस ठेकेदार को पूरे वर्ष भर अवकाश के दिवसों में भी चाय, नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था करनी होगी।
17.	खाद्य पदार्थों एवं मैस की व्यवस्था का आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन स्वतंत्र है। मैस में असंतोषजनक खाद्य पदार्थ/खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता निम्न स्तर के पाये जाने की स्थिति में भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि वह खाद्य सामग्री को नष्ट करवाने की कार्यवाही करते हुए ठेकेदार पर रु. 5,000/- का जुर्माना भी कर सकेगा। मैस में अव्यवस्था पाये जाने, गंदगी पाये जाने, मैस ठेकेदार या उसके श्रमिकों द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने की स्थिति में भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार पर रु. 5,000/- का जुर्माना कर सकेगा। यदि मैस ठेकेदार द्वारा लगातार उपरोक्त कृत्यों की पुनरावृत्ति की जाती है तथा अपने कार्य एवं व्यवहार में सुधार नहीं लाया जाता है, तो भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि मैस ठेका तत्काल बगैर नोटिस दिये निरस्त कर दें तथा सुरक्षा निधि राशि जब्त कर लें।
18.	मैस ठेकेदार को समस्त श्रम अधिनियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। मैस में रखे जाने वाले श्रमिकों की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
19.	मैस ठेकेदार को अपने श्रमिकों को भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा निश्चित की गई रंग की दो गणवेश स्वयं के व्यय से प्रतिवर्ष उपलब्ध कराना होगी। यदि श्रमिक निर्धारित गणवेश में उपस्थित नहीं होते हैं तो मैस ठेकेदार से रु. 1,000/- प्रति श्रमिक प्रतिदिन का अर्थदण्ड आरोपित किया जाकर वसूल किया जावेगा। पुनरावृत्ति होने पर रु. 5,000/- प्रति श्रमिक अर्थदण्ड होगा।
20.	मैस ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न्यूनतम वेतन की दरों के अनुसार करना होगा। समय-समय पर शासन द्वारा न्यूनतम वेतन की दरें बढ़ाई जाने पर मैस ठेकेदार को तदनुसार श्रमिकों की मजदूरी का पूर्ण भुगतान करना होगा।
21.	मैस में कार्यरत, मैस ठेकेदार के कर्मचारियों को सभी प्रकार के भुगतान जैसे कर्मचारी भविष्य निधि/कर्मचारी राज्य बीमा योजना आदि के भुगतान की जवाबदारी मैस ठेकेदार की होगी।
22.	सफल निविदाकार अर्थात् मैस ठेकेदार को उनकी निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् दस दिवस की अवधि में उनके समस्त कर्मचारियों की, जो उसके द्वारा नियोजित किये गये हैं, के लिये वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत बीमा कम्पनी से प्रति कर्मचारी रु. 1,00,000/- (रुपये एक लाख) की दुर्घटना समूह बीमा पॉलिसी लेना होगी तथा इसकी एक प्रति अनिवार्य रूप से कार्यालय में जमा करनी होगी। ऐसी पॉलिसी संपूर्ण ठेके की अवधि तक प्रभावशील/वैध होना जरूरी है। ठेका अवधि में वृद्धि होने पर पॉलिसी का नवीनीकरण तुरंत कराना होगा। इस हेतु बीमा पॉलिसी के प्रीमियम की प्रतिपूर्ति दुग्ध संघ द्वारा की जावेगी। यदि कार्य करते समय मैस ठेकेदार के किसी कर्मचारी का एक्सीडेंट हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट के अंतर्गत देय मुआवजों एवं अन्य दावों, खर्चों आदि का पूर्ण खर्च मैस ठेकेदार को देना होगा। इस संबंध में प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
23.	भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन के निर्देशानुसार मैस ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों की सामयिक चिकित्सा जाँच करवानी होगी तथा तत्संबंधी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य

	पर लगाये गये श्रमिकों को वर्ष में दो बार (प्रत्येक छः माह में) एण्टी टिटनेस को इंजेक्शन ठेकेदार को लगवाना आवश्यक होगा तथा इसकी सूचना ठेकेदार द्वारा प्रबंधन को दी जाना आवश्यक होगी। ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को छूत या कोरोना की बीमारी या अन्य कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। कार्य के दौरान यदि कोई श्रमिक आहत होता है तो उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा व अन्य नियमानुसार सुविधाएँ ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध करवानी होंगी। ऐसा न करने की स्थिति में यदि प्रबंधन द्वारा यह सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं, तो उसकी राशि ठेकेदार से वसूली जावेगी तथा आर्थिक दण्ड भी लगाया जा सकेगा।
24.	मैस ठेकेदार को अच्छे आचरण एवं चरित्र के श्रमिक कार्य पर रखने होंगे। उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण प्रचलित न हो तथा उनके विरुद्ध किसी पुलिस थाने में कोई प्राथमिकी रिपोर्ट भी दर्ज न हो। यदि कोई श्रमिक कार्यालय परिसर में अभद्र व्यवहार या लड़ाई झगड़ा करता हुआ पाया जाता है अथवा संघ के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो ठेकेदार को ऐसे श्रमिक तत्काल हटाना होंगे। ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आपराधिक प्रवृत्ति/सजायापता/असामाजिक कार्य में लिप्त व्यक्ति कार्य पर न रहें। अगर ऐसा पाया गया तो समस्त वैधानिक जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। किसी भी श्रमिक द्वारा उक्त कृत्य किये जाने पर प्रति श्रमिक राशि रु. 1,000/- तक अर्थदण्ड ठेकेदार पर अधिरोपित किया जा सकेगा।
25.	मैस ठेकेदार के श्रमिकों का किसी भी प्रकार के ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग लेना प्रतिबंधित रहेगा। वे दुग्ध संघ के विरुद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। यदि कोई श्रमिक कर्मचारी यूनियन से सदस्यता लेता है या संघ के विरुद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग लेता है या संयंत्र को बंद कराता है, तो उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त करना ठेकेदार की अनिवार्य जिम्मेदारी होगी। दोषी पाये गये श्रमिक को पुनः कार्य पर नहीं रखा जावेगा। इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रति श्रमिक रु. 1,000/- तक अर्थदण्ड भी लगाया जा सकेगा, जिसकी वसूली ठेकेदार से की जा सकेगी।
26.	मैस ठेकेदार अथवा भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन एक माह की लिखित पूर्व सूचना के आधार पर अनुबंध समाप्त कर सकेगा। ठेकेदार द्वारा लिखित में सूचना नहीं दिये जाने की स्थिति में भोपाल दुग्ध संघ को यह अधिकार होगा कि वह सुरक्षा निधि को जब्त कर सकेगा।
27.	अनुबंध समाप्त होने की स्थिति में मैस ठेकेदार से यदि कोई सामग्री, धनराशि, आर्थिक दण्ड एवं किसी भी प्रकार की वसूली शेष रहती है, तो भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि वह उक्त राशि ठेकेदार की सुरक्षा निधि राशि में कटौती कर शेष राशि ठेकेदार को वापस करेगा। कैटीन/मैस ठेका निरस्त किये जाने की स्थिति में सुरक्षा निधि राशि जब्त कर ली जावेगी।
28.	मैस ठेकेदार द्वारा यदि अपने उत्पादों की बिक्री के लिये उधारी दी जाती है तो वह उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
29.	मैस ठेकेदार द्वारा सामग्री का विक्रय पूर्व स्वीकृत दरों पर ही किया जावेगा।
30.	मैस ठेकेदार द्वारा भोपाल सहकारी दुग्ध संघ में उत्पादित वस्तुओं का विक्रय मैस में नहीं किया जायेगा।
31.	मैस ठेकेदार को मैस संचालन हेतु विशेष रूप से निम्न शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करना होगा :- 1. मैस ठेकेदार को निविदा प्रपत्र में वर्णित सूची (प्रपत्र-05) के अनुसार ही भोज्य सामग्रियाँ, प्रशिक्षुओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। सूची के अनुसार भोज्य सामग्रियाँ उपलब्ध नहीं कराने पर मैस ठेकेदार के देयक से राशि रु. 1,000/- प्रतिदिन की दर से कटौती किया जावेगा। 2. मैस ठेकेदार को स्वयं से अथवा मैस में कार्यरत श्रमिकों से मिलने वाले कोई व्यक्ति आता है तो इसकी सूचना हॉस्टल वार्डन को देना होगा। 3. मैस ठेकेदार एवं मैस में कार्य करने वाले श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य कोई बाहरी व्यक्ति मैस परिसर में पाया जाता है तो उसके विरुद्ध दुग्ध संघ वैधानिक कार्यवाही कर सकेगा, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी कैटीन/मैस ठेकेदार की होगी। 4. मैस ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि परिसर में रात्रि के समय, दो ही श्रमिक रखें। 5. मैस ठेकेदार को रुम सर्विस के लिये कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा एवं आवश्यकतानुसार उक्त सुविधा देनी होगी।

	6. प्रशिक्षण के दौरान मैस बंद होने की स्थिति में दुग्ध संघ को मैस ठेकेदार के देयकों से राशि रु. 1,000/— प्रतिदिन का अर्थदण्ड एवं वैकल्पिक व्यवस्था में व्यय हुई अतिरिक्त राशि का कटौत करने का अधिकार होगा। 7. प्रत्येक सत्र समाप्ति के दिन प्रशिक्षणार्थियों से प्रशिक्षण एवं मैस व्यवस्था के संबंध में फीडबैक लिया जाता है, नियमानुकूल फीडबैक के आधार पर प्रशिक्षण के आगामी सत्रों में सुधार किया जाता है। इसी संदर्भ में मैस व्यवस्था बाबत प्राप्त फीडबैक के आधार पर आगामी सत्रों में मैस ठेकेदार को आवश्यक सुधार करना होंगे, अन्यथा अनुबंध की शर्तों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
32.	यदि एक से अधिक निविदाकर्ताओं द्वारा एक समान दरें प्रस्तुत की जाती हैं, तो ठेका आवंटन हेतु लॉटरी के माध्यम से निर्णय लिया जावेगा। लॉटरी के समय निविदाकर्ता/उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
33.	भोपाल सहकारी दुग्ध संघ संयंत्र में कार्यरत संचालक मण्डल के सदस्यों/उनके परिजनों, दुग्ध संघ के अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा उनके परिजनों तथा दुग्ध सहकारी समितियों के पदाधिकारियों/उनके परिजनों को मैस ठेका प्रदान नहीं किया जावेगा।
34.	भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर अनुबंध की शर्तों में संशोधन किया जा सकता है अथवा नवीन शर्तों को जोड़ा जा सकता है। यदि परिस्थितियों/नियमों/अधिनियमों में संशोधन/परिवर्तन के फलस्वरूप कतिपय शर्तों में परिवर्तन/संशोधन/समावेश किया जाना आवश्यक होने पर दोनों पक्षों की सहमति पर अनुबंध में संशोधन किया जा सकेगा। असहमति की दशा में एक माह की पूर्व सूचना देकर ठेका समाप्त किया जा सकेगा।
35.	भाव दरें खोलने के पश्चात् यदि प्रबंधन को दरें अधिक प्रतीत हों और वह आवश्यक समझे तो न्यूनतम दर हेतु निविदाकर्ता को निगोसिएशन के लिए बुलाया जा सकता है। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
36.	किसी भी प्रकरण में सामग्री/सेवा प्रदायक एवं दुग्ध संघ के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में “आरबीट्रेशन” एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
37.	किसी भी वाद-विवाद की सुनवाई भोपाल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही होगी।

उपरोक्त शर्त क्रमांक 01 से 37 तक सभी शर्तें मैंने पढ़ी और समझी हैं। उक्त समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए निर्धारित प्रपत्र 06 में भाव दर प्रस्तुत कर रहा हूँ।

स्थान :-	हस्ताक्षर :-
दिनांक :-	नाम :-
	वर्तमान पता :-
	स्थायी निवास का पता :-
	फोन नं.:-
	मोबाईल नं.:-

तकनीकी अर्हता के संबंध में राशि रु. 100/- के गैर न्यायालयीन स्टॉम्प पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप

शपथ पत्र

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम) (पंजीयन क्रमांक)

शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि :-

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूँ।
2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म को किसी शासकीय संस्था/एम.पी.सी.डी.एफ./दुग्ध संघ द्वारा काली सूची में नामांकित नहीं किया गया है।
3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थान :-

दिनांक :-

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं (नाम) (आयु) (पता)

शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के पद क्रमांक 1 लगायत 3 में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य व सही हैं। इसमें कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया है और न ही कुछ छुपाया गया है। कोई भी तथ्य असत्य पाये जाने की स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही के लिये अधोहस्ताक्षरी स्वयं जिम्मेदार होगा।

स्थान :-

दिनांक :-

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

(रुपये 1,000/- के नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प पेपर पर)

:: अनुबंध पत्र ::

आज दिनांक को यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल जो इस अनुबंध में प्रथम पक्ष कहलायेंगे तथा मेसर्स जिला, जो कि अनुबंध में द्वितीय पक्ष कहलायेंगे, के मध्य भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा तीन वर्ष के लिए ठेके पर प्रशिक्षण केन्द्र परिसर में स्थित मैस का संचालन करने हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा मैस ठेकेदार के रूप में कार्य करने के लिये यह अनुबंध निम्न शर्तों पर निष्पादित किया जाता है :-

:: मैस संचालन हेतु निविदा शर्तें ::

1.	मैस ठेका आदेश/अनुबंध निष्पादन दिनांक से तीन वर्ष तक की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा। निविदा अवधि पूर्ण होने पर व कार्य संतोषप्रद होने पर अनुबंध अवधि में अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि एक-एक करके पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तों पर की जा सकेगी।
2.	नगर पालिका/नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, श्रम विभाग, विक्रय विभाग आदि से संबंधित जो भी लायसेंस/परमिट इत्यादि प्राप्त करना होगा उसकी समस्त जिम्मेदारी मैस ठेकेदार की होगी। साथ ही समस्त आवश्यक लायसेंस/परमिट की छायाप्रति ठेकेदार को दुग्ध संघ कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कराना होगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त विभाग के अधिकारी कभी भी मैस का निरीक्षण कर सकते हैं जिसके लिए भी ठेकेदार जिम्मेदार होगा। यदि उनके द्वारा ठेकेदार के द्वारा नियम पालन नहीं करने की विपरीत टीप से प्रबंधन को अवगत कराया जाता है, तो श्रम अधिनियमों के अंतर्गत दंड आदि की जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी। यदि विपरीत टीप गंभीर प्रवृत्ति की दी जाती है, तो ठेका तत्काल में निरस्त किया जाने का अधिकार प्रबंधन के पास सुरक्षित रहेगा।
3.	मैस ठेकेदार को स्वयं के बर्तन, गैस चूल्हा एवं अन्य आवश्यक सामान की व्यवस्था करनी होगी एवं खाद्य सामग्री के निर्माण में गैस का ही प्रयोग किया जायेगा।
4.	मैस ठेके की अवधि में पानी व बिजली का व्यय भोपाल दुग्ध संघ द्वारा वहन किया जावेगा, परंतु मैस ठेकेदार बिजली के हीटर/रूम हीटर का उपयोग नहीं करेगा। हीटर/रूम हीटर का उपयोग करते हुए पाये जाने पर प्रत्येक प्रकरण में रु. 10,000/- अर्थदण्ड किया जावेगा।
5.	मैस भवन में फर्नीचर की व्यवस्था भोपाल दुग्ध संघ द्वारा की जावेगी परंतु उसकी देख-रेख ठेकेदार द्वारा की जावेगी। फर्नीचर को यदि कोई नुकसान पहुँचाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा उसकी भरपाई ठेकेदार से की जावेगी।
6.	मैस ठेकेदार को स्वयं मैस में काम करने वाले श्रमिकों की सम्पूर्ण जानकारी यथा नाम, पता एवं फोटो सहित प्रमाणित कर दुग्ध संघ को उपलब्ध कराना होगी।
7.	मैस ठेकेदार द्वारा यदि मैस में कार्य करने वाले श्रमिकों की बदली करता है तो इसकी पूर्व सूचना तथा नवीन श्रमिकों की जानकारी दुग्ध संघ को उपलब्ध कराना होगी।
8.	खाने-पीने की वस्तुओं एवं बैठने इत्यादि के स्थान को पूर्णतः साफ-सफाई के साथ व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी मैस ठेकेदार की होगी। इस हेतु ठेकेदार को प्रत्येक पाली में सफाईकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना होगी।
9.	भोपाल दुग्ध संघ के प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण सत्र पूरे वर्ष भर संचालित किये जाते हैं। अतः मैस ठेकेदार को पूरे वर्ष भर अवकाश के दिवसों में भी चाय, नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था करनी होगी।
10.	खाद्य पदार्थों एवं मैस की व्यवस्था का आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन स्वतंत्र है। मैस में असंतोषजनक खाद्य पदार्थ/खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता निम्न स्तर के पाये जाने की

	स्थिति में भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि वह खाद्य सामग्री को नष्ट करवाने की कार्यवाही करते हुए ठेकेदार पर रु. 5,000/- का जुर्माना भी कर सकेगा। यदि मैस ठेकेदार द्वारा लगातार उपरोक्त कृत्यों की पुनरावृत्ति की जाती है तथा अपने कार्य एवं व्यवहार में सुधार नहीं लाया जाता है, तो भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि मैस ठेका तत्काल बगैर नोटिस दिये निरस्त कर दे तथा सुरक्षा निधि राशि जब्त कर लें।
11.	मैस ठेकेदार को समस्त श्रम अधिनियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। मैस में रखे जाने वाले श्रमिकों की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12.	मैस ठेकेदार को अपने श्रमिकों को भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा निश्चित की गई रंग की दो गणवेश स्वयं के व्यय से प्रतिवर्ष उपलब्ध कराना होगी। यदि श्रमिक निर्धारित गणवेश में उपस्थित नहीं होते हैं तो मैस ठेकेदार से रु. 1,000/- प्रति श्रमिक प्रतिदिन का अर्थदण्ड आरोपित किया जाकर वसूल किया जावेगा।
13.	मैस ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न्यूनतम वेतन की दरों के अनुसार करना होगा। समय-समय पर शासन द्वारा न्यूनतम वेतन की दरें बढ़ाई जाने पर मैस ठेकेदार को तदनुसार श्रमिकों की मजदूरी का पूर्ण भुगतान करना होगा।
14.	मैस में कार्यरत, मैस ठेकेदार के कर्मचारियों को सभी प्रकार के भुगतान जैसे कर्मचारी भविष्य निधि/कर्मचारी राज्य बीमा योजना आदि के भुगतान की जवाबदारी मैस ठेकेदार की होगी।
15.	सफल निविदाकार अर्थात् मैस ठेकेदार को उसकी निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् दस दिवस की अवधि में उनके समस्त कर्मचारियों की, जो उसके द्वारा नियोजित किये गये हैं, के लिये वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत बीमा कम्पनी से प्रति कर्मचारी रु. 1,00,000/- की दुर्घटना समूह बीमा पॉलिसी लेना होगी तथा इसकी एक प्रति अनिवार्य रूप से कार्यालय में जमा करानी होगी। ऐसी पॉलिसी सम्पूर्ण ठेके की अवधि तक प्रभावशील/वैध होना जरूरी है। ठेका अवधि में वृद्धि होने पर पॉलिसी का नवीनीकरण तुरंत कराना होगा। इस हेतु बीमा पॉलिसी के प्रीमियम की प्रतिपूर्ति दुग्ध संघ द्वारा की जावेगी। यदि कार्य करते समय मैस ठेकेदार के किसी कर्मचारी का एक्सीडेंट हो जाये तो ऐसी परिस्थिति में वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट के अंतर्गत देय मुआवजों एवं अन्य दावों, खर्चों आदि का पूर्ण खर्च मैस ठेकेदार को देना होगा। इस संबंध में प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
16.	भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन के निर्देशानुसार मैस ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों की सामयिक चिकित्सा जाँच करवानी होगी तथा तत्संबंधी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य पर लगाये गये श्रमिकों को वर्ष में दो बार (प्रत्येक छः माह में) एण्टी टिटनेस का इंजेक्शन ठेकेदार को लगवाना आवश्यक होगा तथा इसकी सूचना ठेकेदार द्वारा प्रबंधन को दी जाना आवश्यक होगी। ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को छूत या कोरोना की बीमारी या अन्य कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। कार्य के दौरान यदि कोई श्रमिक आहत होता है तो उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा व अन्य नियमानुसार सुविधायें ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध करवानी होंगी। ऐसा न करने की स्थिति में यदि प्रबंधन द्वारा यह सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं, तो उसकी राशि ठेकेदार से वसूली जावेगी तथा आर्थिकदण्ड भी लगाया जा सकेगा।
17.	मैस ठेकेदार को अच्छे आचरण एवं चरित्र के श्रमिक कार्य पर रखने होंगे। उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण प्रचलित न हो तथा उनके विरुद्ध किसी पुलिस थाने में कोई प्राथमिकी रिपोर्ट भी दर्ज न हो। यदि कोई श्रमिक कार्यालय परिसर में अभद्र व्यवहार या लड़ाई झगड़ा करता हुआ पाया जाता है अथवा संघ के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो ठेकेदार को ऐसे श्रमिक तत्काल हटाना होंगे। ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आपराधिक प्रवृत्ति/सजायापता/असामाजिक कार्य में लिप्त व्यक्ति कार्य पर न रहें। अगर ऐसा पाया गया तो समस्त वैधानिक जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। किसी भी श्रमिक द्वारा उक्त कृत्य किये जाने पर प्रति श्रमिक राशि रु. 1,000/- तक अर्थदण्ड ठेकेदार पर अधिरोपित किया जा सकेगा।
18.	मैस ठेकेदार के श्रमिकों का किसी भी प्रकार के ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग लेना प्रतिबंधित रहेगा। वे दुग्ध संघ के विरुद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। यदि कोई श्रमिक कर्मचारी यूनियन में सदस्यता लेता है या संघ के विरुद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग लेता है या संयंत्र को बंद कराता है, तो उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त करना ठेकेदार की अनिवार्य

	जिम्मेदारी होगी। दोषी पाये गये श्रमिक को पुनः कार्य पर नहीं रखा जावेगा। इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रति श्रमिक रु. 1,000/- तक अर्थदण्ड भी लगाया जा सकेगा, जिसकी वसूली ठेकेदार से की जा सकेगी।
19.	मैस ठेकेदार अथवा भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन एक माह की लिखित पूर्व सूचना के आधार पर अनुबंध समाप्त कर सकेगा। ठेकेदार द्वारा लिखित में सूचना नहीं दिये जाने की स्थिति में भोपाल दुग्ध संघ को यह अधिकार होगा कि वह सुरक्षा निधि को जब्त कर सकेगा।
20.	अनुबंध समाप्त होने की स्थिति में मैस ठेकेदार से यदि कोई सामग्री, धनराशि, आर्थिकदण्ड एवं किसी भी प्रकार की वसूली शेष रहती है, तो भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि वह उक्त राशि ठेकेदार की सुरक्षा निधि राशि में कटौती कर शेष राशि ठेकेदार को वापस करेगा। मैस ठेका निरस्त किये जाने की स्थिति में सुरक्षा निधि राशि जब्त कर ली जावेगी।
21.	मैस ठेकेदार द्वारा यदि अपने उत्पादों की बिक्री के लिये उधारी दी जाती है तो वह उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
22.	मैस ठेकेदार द्वारा सामग्री का विक्रय पूर्व स्वीकृत दरों पर ही किया जावेगा।
23.	मैस ठेकेदार द्वारा भोपाल सहकारी दुग्ध संघ में उत्पादित वस्तुओं का विक्रय कैंटीन/मैस में नहीं किया जायेगा।
24.	मैस ठेकेदार को मैस संचालन हेतु विशेष रूप से निम्न शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करना होगा :- 1. मैस ठेकेदार को निविदा प्रपत्र में वर्णित सूची (प्रदर्श-5) के अनुसार ही प्रशिक्षुओं एवं अतिथियों को भोज्य सामग्रियाँ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। सूची के अनुसार भोज्य सामग्रियाँ उपलब्ध नहीं कराने पर मैस ठेकेदार के देयक से राशि रु. 1,000/- प्रतिदिन की दर से कटौती किया जावेगा। 2. मैस ठेकेदार को स्वयं से अथवा मैस में कार्यरत श्रमिकों से मिलने वाले कोई व्यक्ति आता है तो इसकी सूचना हॉस्टल वार्डन को देना होगा। 3. मैस ठेकेदार एवं मैस में कार्य करने वाले श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य कोई बाहरी व्यक्ति मैस परिसर में पाया जाता है तो उसके विरुद्ध दुग्ध संघ वैधानिक कार्यवाही कर सकेगा, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी मैस ठेकेदार की होगी। 4. मैस ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि परिसर में रात्रि के समय, दो ही श्रमिक रुकें। 5. मैस ठेकेदार को रुम सर्विस के लिये कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा एवं आवश्यकतानुसार उक्त सुविधा देनी होगी। 6. प्रशिक्षण के दौरान मैस बंद होने की स्थिति में दुग्ध संघ को मैस ठेकेदार के देयकों से राशि रु. 1,000/- प्रतिदिन का अर्थदण्ड एवं वैकल्पिक व्यवस्था में व्यय हुई अतिरिक्त राशि कटौती करने का अधिकार होगा। 7. प्रत्येक सत्र समाप्ति के दिन प्रशिक्षणार्थियों से प्रशिक्षण एवं मैस व्यवस्था के संबंध में फीडबैक लिया जाता है, नियमानुकूल फीडबैक के आधार पर प्रशिक्षण के आगामी सत्रों में सुधार किया जाता है। इसी संदर्भ में मैस व्यवस्था बाबत प्राप्त फीडबैक के आधार पर आगामी सत्रों में मैस ठेकेदार को आवश्यक सुधार करना होंगे, अन्यथा अनुबंध की शर्तों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
25.	भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर अनुबंध की शर्तों में संशोधन किया जा सकता है अथवा नवीन शर्तों को जोड़ा जा सकता है। यदि परिस्थितियाँ/नियमों/अधिनियमों में संशोधन/परिवर्तन के फलस्वरूप कतिपय शर्तों में परिवर्तन/संशोधन/समावेश किया जाना आवश्यक होने पर दोनों पक्षों की सहमति पर अनुबंध में संशोधन किया जा सकेगा। असहमति की दशा में एक माह की पूर्व सूचना देकर ठेका समाप्त किया जा सकेगा।
26.	किसी भी प्रकरण में सामग्री/सेवा प्रदायक एवं दुग्ध संघ के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में "आरबीट्रेशन" एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
27.	किसी भी वाद-विवाद की सुनवाई भोपाल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही होगी।

उपरोक्त समस्त शर्तें मैंने पढ़ी और समझी हैं। उक्त समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए अनुबंध निष्पादित कर रहा हूँ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल	हस्ताक्षर मैस ठेकेदार
स्थान —	नाम —
दिनांक —	
1. गवाह का नाम एवं पता	भोपाल कार्यालय का पता, दूरभाष, मोबाईल एवं फैक्स/ई-मेल
.....	
.....	
.....	
.....	
2. गवाह का नाम एवं पता	
.....	
.....	
.....	
.....	

भोज्य आहार का विवरण (प्रतिदिन/प्रति व्यक्ति)

क्र.	विवरण	समय	आहार विवरण प्रति प्रशिक्षणार्थी
1.	नाश्ता	प्रातः 8:00 बजे से प्रातः 9:00 बजे तक	1. दो समोसे या दो कचौड़ी या दो आलू बड़े या ब्रेड पकोड़ा (वजन 120 ग्राम) एवं जलेबी (वजन 50 ग्राम) अथवा 2. एक प्लेट पोहा (वजन 100 ग्राम) साथ में नमकीन सेव (वजन 20 ग्राम) एक चौथाई नींबू की फाक एवं जलेबी (वजन 50 ग्राम) अथवा 3. दो पराठे (आलू/मेथी/गोभी/मूली के (वजन 120 ग्राम) एवं दही (वजन 100 ग्राम नमकीन/मीठा) अथवा 4. पूड़ी व सब्जी (वजन 120 ग्राम) एवं मीठा (वजन 50 ग्राम) नोट :- नाश्ता प्रतिदिन बदल-बदल कर देना अनिवार्य होगा।
2.	भोजन (भरपेट दोपहर एवं रात्रि का)	दोपहर 1:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक सायं 7:30 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक	एक दाल फ्राई, चावल, रोटी, सब्जी, स्वीट डिश, रायता/दही, सलाद, पापड़ एवं अचार। (सलाद एवं सब्जियाँ मौसम के अनुसार देना होगा)
3.	चाय बेड टी नाश्ते के बाद चाय क्लास रुम में चाय	प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 7:00 बजे तक प्रातः 9:00 बजे से प्रातः 9:30 बजे तक दोपहर 3:30 बजे (क्लास में)	100 मि.ली. प्रति कप/प्रशिक्षणार्थी

नोट :-

1. उपवास रखने वाले प्रशिक्षणार्थियों को एक समय का भोजन अथवा फलहारी भोज्य पदार्थ (लगभग 250 ग्राम) एवं 150 मि.ली. दूध दिया जावेगा।
2. भोज्य पदार्थों के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल जैसे आटा (शरबती गेहूँ का), चावल (एच.एम.टी./दुबराज), दाल (तुअर), तेल (सोयाबीन डबल फिल्टर) एवं मसाले (एगमार्क) के होना आवश्यक होगा।
3. प्रत्येक रविवार को एक पाली में पूड़ी, खीर/मीठा भोजन के साथ देना अनिवार्य होगा।

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
:: भाव दर पत्रक ::

‘अ’ – मैस संचालन हेतु भोज्य पदार्थ/आहार की भाव दरें :-

क्र.	विवरण	दर (ऑनलाईन ही प्रस्तुत करें)
1.	चाय – 100 मि.ली. प्रति कप (दिन में 3 बार)	रुपये प्रतिदिन/प्रति व्यक्ति
2.	नाश्ता	रुपये प्रतिदिन/प्रति व्यक्ति
3.	भोजन (2 बार भरपेट)	रुपये प्रतिदिन/प्रति व्यक्ति

‘ब’ – मैस संचालन हेतु (माननीय संचालकों/अतिथियों के लिये भोजन की दरें :-

क्र.	विवरण	दर (ऑनलाईन ही प्रस्तुत करें)
1.	चाय – 100 मि.ली. प्रति कप	रुपये प्रतिदिन/प्रति व्यक्ति
2.	नाश्ता :- (1) दो इडली (100 ग्राम) या (2) खमन ढोकला (100 ग्राम) या (3) दो समोसे, 50 ग्राम जलेबी (4) चार पूड़ी, सब्जियाँ या (5) 2 आलू पराठा, सादा दही	रुपये प्रतिदिन/प्रति व्यक्ति
3.	भोजन – दो बार (1) हरी सब्जी (2) एक पनीर सब्जी (3) रायता, पापड़, सलाद, अचार (4) 5 रोटी, एक दाल फ्राई, चावल बासमती एक प्लेट (5) स्वीट डिश	रुपये प्रतिदिन/प्रति व्यक्ति

मेरे द्वारा भाव पत्र में दी गई सभी जानकारी पढ़ी और समझ ली गई है। प्रपत्र 02 में दी गई समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए निर्धारित प्रपत्र 06 में भाव दर प्रस्तुत कर रहा हूँ।

स्थान :-	हस्ताक्षर :-
दिनांक :-	नाम :-
	वर्तमान पता :-
	स्थायी निवास का पता :-
	मोबाईल / दूरभाष नं.:-